न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 152 / 2016
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत – रामसर

उनवान

1. महावीर पुत्र काना जाति माली निवासी रामसर

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बालमुकुन्द पुत्र चांदमल जाति महाजन निवासी रामसर
2. गोविन्द पुत्र काना जाति माली
3. गोपाल पुत्र काना जाति माली निवासी रामसर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
5. उप पंजीयन अधिकारी नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–18.6.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के खाता संख्या 1102 / 1033 किता 4 रकबा 0.78, खाता संख्या 570 / 528 किंता 3 रकबा 0.16, खाता संख्या 1784 / 1711 किंता 1 रकबा 0.705, खाता संख्या 568 / 527 किंता 2 रकबा 0.38, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सहखातेदारी /सहकाश्तकारी भूमि है। उक्त आराजीयात रिकार्ड एवं मौके पर अविभाजित है एवं संयुक्त रूप से काबिज काश्त खातेदार चले आ रहे है उक्त आराजी का आदिनांक तक विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी करते है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है।

अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

पत्रावली कैम्प कोर्ट रामसर में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद तामिली उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए व निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 4 व 5 फोरमल पक्षकार है। पृथक से जवाब प्रेषित नहीं किया जाना है। हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत कैम्प कोर्ट

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः रामसर के खाता संख्या 1102/1033 किता 4 रकबा 0.78, खाता संख्या 570/528 किंता 3 रकबा 0.16, खाता संख्या 1784/1711 किंता 1 रकबा 0.705, खाता संख्या 568/527 किंता 2 रकबा 0.38, की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.6.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत कैम्प कोर्ट

न्याय आपके द्वार 2018
प्राथमिक डिकी व मुकदमें इन्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

महावीर बनाम बालमुकुन्द

दावा बाबत :–53,88, 188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –152/16
पेश करने की दिनांक – 20.9.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई स्वयं मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के खाता संख्या 1102/1033 किता 4 रकबा 0.78, खाता संख्या 570/528 किंता 3 रकबा 0.16, खाता संख्या 1784/1711 किंता 1 रकबा 0.705, खाता संख्या 568/527 किंता 2 रकबा 0.38, की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 06 सन् **2018** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प बजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी

नसीराबाद